प्रेस विज्ञप्ति

(सूचना एवं जन–सम्पर्क कार्यालय,कैमूर)

संख्या :– 137

दिनांक :– 27.08.2012

लोक सेवाओं के अधिकार ने बनाया जनता को सशक्त

कैमूर(भभुआ) 28 अगस्त 2012 :– राज्य की जनता के हाथों को मजबूत करने के लिए सरकार ने बिहार लाक सेवाओ का अधिकार अधिकनियम 2011 में लागू किया। इस अधिनियम को लागू हुए पूरे एक वर्ष हो गए। लोक सेवा अधिकार अधिनियम से लोगों को सार्थक परिणाम भी मिल रहा है। इस अधिनियम के तहत निर्धारित प्रावधान के आलोक में समय सीमा के अंदर सेवा प्रदान की जा रही है। सेवा का अधिकार कानून की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि हर काम के लिए निर्धारित समय पर काम नहीं करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को दंडित करने का प्रावधान है। इस अधिकार के तहत जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, चालू अनुज्ञप्ति, छात्रवृत्ति का वितरण, दाखिल–खारिज, निबंधन जन–वितरण प्रणाली, चरित्र प्रमाण पत्र, मकान के टैक्स का निर्धारण, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत प्रमाण पत्रों का सत्यापन आदि शामिल है।